FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

बाबूलाल बनाम मूलाराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 85 / सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...।20	वकील सा0 उपस्थित। वकील सा0 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 CPC RT Act के तहत पेश किया हैं। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। गै0 सा0 को जरिये नोटिसेज तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 16/9/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)	547 18/.../2020
16/9/20	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी नं. 01 व 02 को बाद वाद कागजे दिखाई गई। बावजूद नोटिस सूचना तामील है आज अनु० रहे हैं। आज वकील द्वारा कोई कार्य स्थगित रखने से पत्रा. दिनांक 3/11/20 को पेश हो।	
3/11/20	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य मे व वकीलों द्वारा कोई कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 12/1/2021 को पेश हों।	
12/1/21	वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बार-बार आवाज दिलाई गई, बावजूद नोटिस सूचना तामील के अनु० रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 2/3/21 को पेश हो।	
2/3/21	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक पुस्तैनी होने से प्रार्थी का इसमे जन्म से खातेदारी हक एवं अधिकार निहित होने पर के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 39 R 01 & 02 धारा 151 CPC प्रस्तुत किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार है।

1. प्रथम दृष्टया मामला – प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी मु.अ. में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख की प्रति से यह भी स्पष्ट है कि खातेदार एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 1-02 बीघा आराजी का विक्रय किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत वंश- वंशावली में खातेदार मूलाराम के पांच वारिसान दर्शाए हैं लेकिन केवल दो को ही पक्षकार बनाते हुए सम्पूर्ण आराजी के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। यदि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी भी है तो भी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अकेले प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा सुविधा का संतुलन स्वयं के पक्ष में स्थित होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति :- चूंकि उपर्युक्त बिन्दु [illegible] प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हुए साथ ही वाद-ग्रस्त आराजी का अभिलेखित खातेदार [illegible] ही सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में अकेले [illegible] का हक एवं अधिकार निहित हो सकता है। ऐसी दशा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना वादग्रस्त आराजी के खातेदार एवं खातेदार के अन्य वारिसान के लिए अपूर्णीय क्षति का कारण हो सकता है। अतः बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.03 11:37:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज / अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इजी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] S.D.O.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:21 IST
Reason: SelfAttested